न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/70

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. सुखदेव पुत्र श्री धनसिंह 2. देवराजसिंह पुत्र श्री धनसिंह 3. मेवसिंह पुत्र धनसिंह 4. सोहनसिंह पुत्र धनसिंह 5. पप्पुसिंह पुत्र धनसिंह, तमाम अकवाम रावत निवासी रातडिया, तहसील रायपुर, जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार सेन्दड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सदाम काजी

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08.03.22

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार सेन्दडा के राजस्व प्रकरण संख्या 88/2021 सरकार बनाम सुखदेव वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि पटवारी हल्का रातडिया ने अपीलाण्टगण को मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड पर अतिक्रमी मानते हुए, टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीदार सेन्दडा के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार सेन्दडा ने प्रकरण संख्या 88/2021 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलाण्टगण पेशी दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। मातहत अदालत ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत अतिक्रमी मानकर लगान रूपये 5.00 का 50 गुणा जुर्माना दण्डित किया तथा फसल कुर्की का आदेश पारित किया। अपीलाण्टगण के विरूद्व आदेश गलत पारित किया गया है क्योंकि अपीलाण्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर 3788, 3739, 3740 एवं 3741 की कृषि भुमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। तथा अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है। परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा खसरा नम्बर 3744 की कृषि भूमि बताकर धारा 91 की कार्यवाही की गई है, बिना पैमाईश किये ही अपीलाण्टगण की कृषि भूमि को सिवाय चक की भूमि मानकर निर्णय पारित किया है हल्का पटवारी रातडिया द्वारा मकान निर्माण एंव रहना बताया है तथा इस वर्ष अतिक्रमण करने का कथन किया है जो गलत है विवादग्रत भूमि पर अपीलाण्ट का मकान नही बना हुआ है। जिसके सन्दर्भ में अपीलाण्ट ने फोटो भी पेश किये है। जिस पर अपीलाण्ट का बेरा खुदा हुआ है। जो खसरा नम्बर 3741 में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टगण को दिनांक 18.02.2021 का नोटिस जारी किया ओर उसी दिन दिनांक 18.02.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया अपीलाण्टगण

अति. जिला कलेक्टर, पाली

को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाण्टगण की फसल को कुर्क करने का अधिकार नही तहसीलदार को नही है अपीलाण्टगण की फसल लगभग 5-7 लाख रूपये की है। बिना कलक्टर की अनुमति व अनुशंषा के फसल निलामी की कार्यवाही करना कानुनन सही नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज संख्या 352, आर.आर.टी. 2013(2) पेज संख्या 843,आर.आर.टी 2014-15(Supp.) पेज संख्या 728, आर.आर.टी. 2014-15(Supp.) पेज संख्या 681 एवं आर.आर.टी 2013(1) पेज संख्या 517 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्टगण द्वारा जैर अपील आराजी पर पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण कर मकान एवं बाडा बना रखा है व शेष भुमि पर ईसबगोल की खेती कर रखी है। जिसके सन्दर्भ में हल्का पटवारी सेन्दडा द्वारा इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्टगण की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान में भी जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी ताईद पटवारी हल्का रातडिया द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से होती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। तथा वर्तमान में भी जैर आराजी भूमि पर मकान एवं बाडा बना कर कब्जा कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पटवारी हल्का रातडिया की मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी रातडिया ने अपीलाण्टगण द्वारा मौजा रातडिया के खसरा नम्बर 3744 रकबा 1.2950 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड की भूमि पर मकान एवं बाडा बनाकर अतिक्रमण करने से टी.पी. रिपोर्ट नायब तहसीलदार सेन्दडा के समक्ष पेश की, जिस पर उन्होंने प्रकरण संख्या 88/2021 बअनवान सराकर बनाम सुखदेव वगैरा, दिनांक 08.02.2021 को दर्ज करते हुए अपीलाण्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलाण्टगण दिनांक 18.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसकी ताईद मातहत अदालत की पत्रावली से होती है। इससे अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह तथ्य मानने योग्य नहीं है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। जैर अपील आराजी के संबंध में पटवारी हल्का रातडिया से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलाण्टगण का जैर अपील आराजी पर आज भी अतिक्रमण निर्बाध रूप से जारी है तथा उस पर मकान एवं बाडा बनाया हुआ है। इसकी ताईद में पटवारी हल्का रातडिया ने अपने पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट एवं संवत् 2078 के पी-14 की प्रति पेश की है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने जैर अपील आराजी से अतिक्रमण नहीं हटाया है तथा संवत् 2077 में भी उक्त आराजी पर अतिक्रमण किया हुआ था। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है। जिससे जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार सेन्दडा के प्रकरण संख्या 88/2021 बअनवान सरकार बनाम सुखदेव वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 को यथावत रखा जाता है। नायब तहसीलदार सेन्दडा को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 08.03.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)